न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2017-00226RAAJodhpur2017-107RTA225 Harchand Vs Mangilal etc

1. हरचंद के कायम मुकामः -
   1.1. फेफी पत्नी हरचंद
   1.2. कुन्नाराम पुत्र हरचंद
   1.3. खेराजराम पुत्र हरचंद
   1.4. ओमाराम पुत्र हरचंद
   1.5. चिमनाराम पुत्र हरचंद
   1.6. कमली पुत्री हरचंद
   1.7. कुकी पुत्री हरचंद
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- कुकण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मांगीलाल पुत्र भोलाराम जाति जाट,
2. लादाराम पुत्र भोलाराम के कायम मुकामः -
   2.1. मिरगादेवी पत्नी लादाराम
   2.2. किस्तुरराम पुत्र लादाराम
   2.3. ढगलाराम पुत्र लादाराम
   2.4. अशोक पुत्र लादाराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- कुकण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।
   2.5. सोहनीदेवी पुत्री लादाराम पत्नी कानाराम जाति जाट, निवासी- कुकण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।
   2.6. गोजादेवी पुत्री लादाराम पत्नी कैलाश, जाति जाट, निवासी- रामनगर {राड़ो की ढाणी} तहसील व जिला जोधपुर।
   2.7. पिंटू पुत्री लादाराम पत्नी दौलतराम जाति जाट, निवासी- जालेली दईकड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।
3. कालुराम पुत्र खींयाराम जाति जाट,
4. उमा पुत्री खींयाराम जाति जाट,

20.8.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. दिनेश पुत्र खींयाराम जाति जाट
6. उषा पुत्री खींयाराम जाति जाट
7. हेबुड़ी पुत्री खींयाराम जाति जाट
   सभी निवासीगण- ग्राम कुकण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 05 जून 2017 सहायक कलक्टर {फास्ट ट्रेक} जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2017 हरचंद बनाम मांगीलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलांट्स
रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 28 अगस्त 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर {फास्ट ट्रेक} जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2017 अनवान हरचंद बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 जून 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 05 सितंबर 2017 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 328 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 428 रकबा 42.08 बीघा, खसरा नं. 442 रकबा 41.19 बीघा, खसरा नं. 443 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नं. 445 रकबा 4.11 बीघा खसरा नं. 22 रकबा 39.18 बीघा खसरा नं. 129 रकबा 36.10 बीघा खसरा नं. 145 रकबा 2.11

28.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा, खसरा नं. 209 रकबा 9.08 बीघा खसरा नं. 242 रकबा 26.09 बीघा ग्राम कुकण्डा तहसील जोधपुर के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जून 2017 जरिये प्रार्थना पत्र खाजिर कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचित किये बिना ही पत्रावली को केम्प कोर्ट में रख कर बिना बहस सुने ही प्रार्थना पत्र खारिज करने में गम्भीर विधिक त्रुटि की गई है। लोक अदालत केम्प कोर्ट में केवल पक्षकारों की आपसी सहमति से संबंधित प्रकरणों को ही निस्तारण किया जा सकता है। सन् 2006 से चल रहे कन्टेस्टेड मामले का इस प्रकार पक्षकारों की अनुपस्थिति में निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया गया है। अपीलाधीन आदेश बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये होने से न केवल मनमाना एवं अवैध है, बल्कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं मौके के फोटो आदि का अवलोकन किये बिना मनमाने तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर विधिक त्रुटि की गई है। खसरा नं. 129 रकबा 36.10 बीघा पर स्वीकृत तोर पर अपीलांट प्रार्थी का कब्जा काश्त है। जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि रेस्पोडेंट अप्रार्थी लादाराम सन् 2015 में अपीलांट के विरुद्ध भूमि खसरा नं. 129 पर से अपीलांट को बेदखल करने के लिए दावा

20.9.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पेश कर रखा है, जिसमें अपीलांट की ओर से जवाब दावा पेश किया जा चुका है। अतः स्वीकृत कब्जे के बावजूद अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में न तो प्रकरण के तथ्य लिखे है तथा न ही पक्षकारों के अभिकथनों का विवरण दिया तथा न ही राजस्व रेकर्ड आदि का जिक्र किया है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जून 2017 को खारिज फरमाया जावे एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि खसरा नं. 129 रकबा 36.10 बीघा वाके ग्राम कुकण्डा तहसील जोधपुर पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे तथा विधि विरुद्ध तरीके से बेदखल नहीं करे।

जवाब में रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करते हुए रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसम्मत रूप से उचित समझा है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन मुताबिक पत्रावली विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या पांच व छः की तलबी में विचाराधीन थी। विचारण

20.8.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2017 केम्प दईकड़ा में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली को लोक अदालत में रखे जाने बाबत लिखी गई आदेशिका में लोक अदालत केम्प के स्थान के नाम का अभाव पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत में रखे जाने की सूचना बाबत पक्षकारान् को नोटिस जारी किये जाने बाबत भी पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई उल्लेख अथवा नोटिस की प्रति उपलब्ध नहीं हैं।

विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना पत्रावली को लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2017 अनवान हरचंद बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 05 जून 2017 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 129 रकबा 36

20.9.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा 10 बिस्वा ग्राम कुकण्डा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.10.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर